ISBN: 978-93-90847-06-8

1. भारत में कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति–एक विश्लेषण

डॉ. राजेश मौर्य

सहा. प्रा. अर्थशास्त्र,
शास. नेहरू महा. वि. सबलगढ़.

प्रो. जे. पी. मित्तल

प्राचार्य,
शास. नेहरू महा. वि. सबलगढ़.

सार (Abstract) :

कोरोना वायरस महामारी, जिसने सम्पूर्ण विश्व में मानव विनाश के संकट उत्पन्न कर दिये हैं, न केवल लोगों को मौत की नींद सुला रहा हैं बल्कि बेरोजगारी तथा भुखमरी के कारण लोगों (मजदूरों, श्रमिकों) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करने के लिये मजबूर कर दिया हैं। ऐसी ही स्थिति भारत में भी उत्पन्न हुयी हैं। भारत सरकार ने अपने देशवासियों को कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से बचाने के लिये सम्पूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की प्रक्रिया को अपनाया था, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों (मजदूरों/श्रमिकों) को काम (कार्य) तथा भोजन के अभाव में वापस अपने निवास स्थान की ओर लौटना पड़ा था। **विश्व बैंक का अनुमान हैं कि भारत में आन्तरिक प्रवास के तहत लगभग 40 मिलियन लोगों (मजदूरों) ने पलायन किया था।(I)** दरअसल भारत के कुछ राज्य जैसेः– बिहार, उत्तर–प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि ऐसे हैं, जहॉ कार्य या लोगों के अनुपात में कार्य उपलब्ध नहीं हैं, नतीजतन उन्हें काम की तलाश में अपने राज्यों को छोड़कर देश के बड़े–बड़े शहरों (मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलौर) में काम की तलाश में जाना पड़ता हैं। जब चीन के बुहान शहर से कोरोना वायरस का प्रकोप आरंभ हुआ, तो भारत सरकार ने इसे रोकने के लिये सम्पूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की प्रक्रिया को अमल में लाया था, इसीलिये रोजगार एवं भोजन का प्रबंध न होने के कारण उन्हें पलायन करना पड़ा था।

देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मजदूरों का पलायन इतनी बड़ी मात्रा में हुआ था कि इसकी (प्रवास) तुलना भारतीय उप–महाद्वीप में सन 1947 में घटी दुर्घटना भारत विभाजन से की जाती हैं। **यह भारतीय इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी प्रवास की घटना मानी जाती हैं, जहॉ 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुये थे।(II)** इस आन्तरिक भारतीय प्रवास के दौरान ऐसे राज्यों (बिहार, म. प्र., उत्तर–प्रदेश, उड़िशा, राजस्थान) के मजदूरों की संख्या सर्वाधिक थी, जिनकी गिनती बीमारू राज्यों में की जाती हैं। **भारत की जनगणना 2011 के अनुसार –** "भारत के दो राज्य अर्थात महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे थे, जहॉ पॅजाब, असम, मध्य–प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़िशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के प्रवासियों की प्रवाह की दृष्टि से लगभग 54.3 मिलियन मजदूरों की संख्या के साथ देखी गयी थी।"**(III)** प्रारंभिक तालाबंदी के दौरान आवागमन के साधनों (बस, रेल, अन्य) पर प्रतिबंद के कारण हजारों श्रमिकों को नंगे पैर ही पैदल चलना पड़ा था और कुछ श्रमिक तो ऐसे थे, जो बिना भोजन के सतत रूप से गॉव पहुॅचने के लिये चलते रहे थे।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट यह बताती हैं कि – "देश में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से आन्तरिक प्रवास के दौरान शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50000 से 60000 व्यक्ति पलायन कर गये थे, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्जन की दृष्टि से लगभग ढाई गुना से अधिक बताया गया था।"**(IV)** इस तालाबंदी के दौरान आन्तरिक प्रवास के तहत अनेक मजदूरों/श्रमिकों की गर्भवती महिलायें एवं बच्चें भी शामिल थे, जो अपने मूल स्थान तक पहुॅचने के लिये हजारों किलोमीटर भूखे, नंगे पैर चले थे। कुछ श्रमिकों के परिवारों ने तो रास्तें में ही लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था तथा कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। भूखे चलने का प्रमुख कारण धन का अभाव था क्योंकि कोरोना वायरस महामारी में अनेक लोगों को काम या नौकरी से निकाल दिया गया था, हालॉकि भारत में सरकारी अधिकारियों ने प्रवासियों के लिये आश्रय एवं भोजन की व्यवस्था का प्रबंधन किया था। **जैसा कि जी. पाण्डे ने अपने कोरोना वायरस लेख मे उल्लेख किया हैं कि –** "दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 2.2 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क राशन योजना के तहत भोजन की व्यवस्था की गयी थी।"**(V)** लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये भारत सरकार द्वारा लागू की गयी, राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की प्रक्रिया ने सम्पूर्ण देश में लोगों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिये कष्टदायी साबित हुयी थी। इस समयावधि में मजदूरों को न केवल भूखे होने के कारण कष्ट हुआ था बल्कि अपने परिवार के एक न एक सदस्य को मौत के रूप में खोते हुये देखा था।

1.1 फोकस क्षेत्र :

प्रस्तावना :– यह सर्वविधित हैं कि वर्तमान में संचालित कोरोना वायरस महामारी ने सम्पूर्ण विश्व की जनता (आबादी) को अपनी चपेट में ले लिया हैं। यह एक ऐसी महामारी हैं, जो लोगों को तीव्रगति से संक्रमित कर मौत की नींद सुला रही हैं। इस महामारी ने न केवल सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को अस्त–व्यस्त या मंदी की स्थिति में ला दिया हैं, बल्कि लोगों से उनका रोजगार छीनकर भूख से तड़पने के लिये मजबूर कर दिया हैं, जिसमें बहुत बड़े–पैमाने पर प्रवासी श्रमिक या कामगार, जो अपन राज्यों से विकसित राज्यों में अपनी आजीविक या जीविकोपार्जन हेतु आते हैं, शामिल हैं। भारत में भी प्रवासी श्रमिकों की इसी प्रकार की स्थिति व्याप्त हैं।

दरअसल जैसे ही चीन के बुहान शहर से कोरोना नामक वायरस का संचरण हुआ वैसे भारत ने अपने देश के लोगों की जान बचाने तथा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी तालाबंदी का सहारा लिया था। जिसके तहत सभी दुकानों, व्यवसायों, उद्योग–धंधों, मॉलों, भोजनालयों, सैलून की दुकानों इत्यादि को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। चारो ओर सन्नाटा था, क्योंकि लोग अपने–अपने घरों में कैद हो गये थे। लेकिन इस तालाबंदी की प्रक्रिया को अमल में लाने से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुये थे, वह प्रवासी श्रमिक या कामगार थे, जिन्हें रोजगार छीन जाने के कारण भोजन के अभाव में अपने निवास स्थान की ओर लौटने के लिये मजबूर कर दिया था। जिसके तहत सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों प्रवासी श्रमिकों को पलायन करना पड़ा था। **विश्व बैंक के अनुसार** – "भारत में कोविड–19 के कारण लगभग 40 मिलियन लोगों (प्रवासी श्रमिकों) ने पलायन किया था।"**(1)** जो भयाभय स्थिति को बताता हैं और स्पष्ट करता हैं कि लोगों (प्रवासी श्रमिकों) के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण का दर किस कदर हाबी हैं।

भारत में प्रवासी श्रमिक कौन हैं? और इसके पीछे क्या कारण हैं, इसके संबंध में एक ज्वलंत एवं भूख से संबंधित एक दर्दभरी दास्ता हैं और वो यह हैं कि भारत में कई राज्य (बिहार, उत्तर–प्रदेश, मध्य–प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल) ऐसे हैं, जो विकास के दृष्टिकोण से

काफी पीछे हैं, जिन्हें भारत में बीमारू राज्य की संज्ञा दी गयी हैं अर्थात जहॉ पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी एवं बहुत बड़े स्तर पर आय की असमानता हैं, दूसरे शब्दों में लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिये काम का अभाव हैं, ऐसी स्थिति में इन राज्यों के लोग देश के दूसरे राज्यों में काम या रोजगार के लिये पलायन करते हैं, जिनमें ऐसे लोग शामिल हैं, जो प्रतिदिन पारिश्रमिक के आधार पर अपनी जीविका चलाते हैं, इन्हीं लोगों को प्रवासी श्रमिक कहा जाता हैं। **भारत की जनगणना 2011 के अनुसार** – ''देश के दो राज्य (महाराष्ट्र, दिल्ली) ऐसे हैं, जहॉ पर असम, उत्तर–प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य–प्रदेश, उड़िसा एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 54.3 मिलियन दर्ज की गयी हैं,''**(2)** जो विभिन्न व्यवसाय एवं उद्योग धंधों में संलग्न होकर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जब से कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण फैला तब से प्रवासी श्रमिकों ने अपने निवास स्थान की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। **विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार** – ''देश मे राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण आन्तरिक प्रवास के दौरान शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लगभग 50000 से 60000 श्रमिकों ने पलायन किया था, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्जन की दृष्टि से लगभग ढाई गुना से भी अधिक था।''**(3)**

उपरोक्त शोध पत्र में भारत में प्रवासी श्रमिकों की संख्या, उनका जीविकोपार्जन तथा उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया हैं और यह समझाने का प्रयास किया गया हैं कि वर्तमान में संचालित कोरोना वायरस नामक महामारी का प्रवासी श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा हैं।

ऐतिहासिक परिपेक्ष्य :– प्रवर्जन मानव के जीवन यापन की एक सामान्य प्रक्रिया हैं, जिसके तहत वह अपने तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिये एक स्थान या जिले से दूसरे स्थान या जिले में प्रवर्जन करता हैं। मानव प्रवर्जन का इतिहास बहुत पुराना हैं, यदि हम यह कहें कि मानव उद्‌भव के समय से प्रवर्जन करता आ रहा हैं, तो इसमें कोई आतिश्यौक्ति नहीं होगी। ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता हैं कि मानव ने अपनी जान बचाने से लेकर धर्म

तथा भरण–पोषण हेतु प्रवर्जन किया हैं। इसके अलावा व्यापार व युद्ध भी मावन प्रवर्जन के कारण रहे हैं। **एक वेब साईट के अनुसार** – ''द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 11 से 12 मिलियन लोग बाल्कन, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैण्ड से जर्मनी में जर्मन भाषी क्षेत्रों से पश्चिम की ओर चले गये थे।''**(4)** लेकिन जब हम आर्थिक दृष्टि से पलायन की स्थिति को देखते हैं, तो यह पता चलता हैं कि इसका इतिहास बहुत लंबा रहा हैं, लगभग 1500 ई. से लोग अपनी श्रम की सेवाऐं देते आ रहे हैं और ये सेवाऐं उन्होंने विश्व व्यापार के निर्माण में दी हैं। नये–नये वैश्विक बाजारों का निर्माण नये राष्ट्रों का निर्माण तथा स्थानीय बाजारों का निर्माण आदि इन प्रवासी श्रमिकों की ही देन हैं। उस समय स्वैच्छिक प्रवास की स्थिति विद्यमान थी, जिसके बल पर उन्होंने नये–नये उपनिवेश स्थापित किये थे, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल हैं, हालॉकि अॅग्रेजों का आगमन 1600 ई. पू. से हुआ था, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता हैं कि इससे पूर्व उपनिवेश निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी।

वैश्विक स्तर पर प्रवासी श्रमिकों का प्रवर्जन कृषि कार्य की अपेक्षा शहरों में काम करने के लिये हुआ था। जिसमें मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप शामिल हैं, जबकि अमेरिका में प्रवासी श्रमिकों का प्रवर्जन कृषि कार्य हेतु हुआ था। फसल की बुबाई या कटायी के समय इनका उपयोग किया जाता था।

दक्षिण अमेरिका, जहॉ बहुत बड़े पैमाने पर काले लोग (नीग्रों) निवासरत हैं, प्रवासी श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिये तैयार किया जाता था तथा न ही उनके पास आवास थे और न ही सामाजिक सुरक्षा, वह कठिन परिस्थितियों को झेलते हुये कार्य करते थे।

16वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका व एशियाई देशों के मूल निवासियों को पराजित करके उपनिवेश बनाये थे।**(5)** ऐसा अनुमान हैं कि इस अवधि में कुल 6 करोड़ यूरोपीय लोगों का प्रवर्जन हुआ था।

सन 1970 के दशक में एक बड़ा प्रवर्जन फारस की खाड़ी में तेल समृद्ध देशों जैसेः– इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुबैत तथा लोबिया में यमन, जॉर्डन, मिश्र, पाकिस्तान तथा अन्य मुस्लिम देशों से प्रवासी श्रमिकों का प्रवर्जन हुआ था।**(6)** सन 1840 मे प्रवर्जन के इतिहास में सबसे बड़ा पलायन हुआ था, जिसे ग्रेट अटलॉटिक प्रवर्जन कहा जाता हैं, इसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच प्रवर्जन हुआ था।**(5)**

19वीं तथा 20वीं शताब्दी में यूरोप तथा एशिया महाद्वीप में प्रवास के अधिक सौम्य रूप विकसित हुये थे, जैसे :– भारत के प्रवर्जकों ने रोजगार की तलाश करते–करते **फिजी तथा मॉरिशस जैसे देशों का निर्माण किया। (5)**, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ राष्ट्र जर्मनी ने तेजी से औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को अपनाने से ग्रीस, तुर्की एवं इटली एवं यूगोस्लाबिया के कई मिलियन प्रवासी श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित किया था और इसी घटना से स्पैन, इटली एवं उत्तरी अफ्रीका से कई प्रवासी श्रमिकों को फ्रॉस ले जाया गया था ताकि फ्रॉस की अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्तर पर पहुॅचाया जा सके।

इस विवरण से यह स्पष्ट होता हैं कि प्रवासी श्रमिकों का प्रवर्जन कोई नयी बात नहीं हैं। यह प्राचीन समय से होता आ रहा हैं, परन्तु वर्तमान में जो प्रवासी श्रमिकों का पलायन हो रहा हैं। वह कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी के कारण हुआ हैं। जिसे हम कोविड–19 प्रवर्जन भी कह सकते हैं, जो लोगों की इच्छा से नहीं बल्कि भूख तथा रोजगार के अभाव में मजबूरन लोगों (प्रवासी श्रमिकों) द्वारा किया जा रहा हैं। जिसके अन्तर्गत प्रवासी श्रमिक भूखे, नंगे पैर हजारो किलोमीटर अपने निवास स्थान या राज्य में पहुॅचने के लिये चले थे, जो कि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के, परिणामस्वरूप चले थे।

प्रवर्जन (प्रवास) श्रमिक :– प्रवासी श्रमिक, यदि हम इस शब्द को दो भागों में बॉटे तो दो अलग–अलग शब्द समूह प्राप्त होते हैं, जैसेः– प्रवर्जन और श्रमिक, यहॉ प्रवासी से अभिप्राय मानव द्वारा अपने मूल निवास स्थान से दूसरे या अन्य स्थान पर जाने की प्रक्रिया से होता हैं, जबकि श्रमिक वे लोग या व्यक्ति होते हैं, जो शारीरिक श्रम के माध्यम से प्रतिदिन एक निश्चित आय अर्जित करके स्वयं या अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। इस प्रकार प्रवासी श्रमिक का आशय हुआ वे व्यक्ति या लोग जो वे स्वयं तथा अपने परिवार के जीवन यापन हेतु एक स्थान या क्षेत्र से दूसरे स्थान या क्षेत्रों में काम करने जाते हैं। जिसके तहत उनको एक निश्चित मजदूरी प्राप्त होती हैं।

प्रवास या प्रवर्जन को दो भागों में बाटा गया हैं।

1. स्थायी प्रवर्जन
2. चक्रिय प्रवर्जन

स्थायी प्रवर्जन, वह प्रवर्जन होता हैं, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने रोजगार तथा उच्च जीवन स्तर हेतु अपने मूल निवास स्थान से दूसरे अन्य स्थान या क्षेत्र में हमेशा के लिये बस जाता हैं। इस प्रकार की प्रवर्जन में व्यक्ति कभी–भी अपने मूल निवास स्थान पर नहीं लौटता हैं, जबकि चक्रिय प्रवर्जन में व्यक्ति द्वारा किया गया प्रवर्जन अल्पकालिक होता हैं अर्थात वह अपने भरण पोषण तथा जीवन स्तर को बेहत्तर बनाने के लिये पलायन तो करता हैं, परन्तु वह अपने निवास स्थान या राज्य को नही भूलता हैं। वह अवधि समाप्त होने या बीच–बीच में अवकाश होने पर वह अपने घर आता रहता हैं। वर्तमान में जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बहुत बड़े स्तर पर प्रवर्जन देखा गया हैं, वह चक्रिय प्रवर्जन का ही उदाहरण हैं।

''सामान्य रूप से प्रवासी श्रमिक वे व्यक्ति या लोग होते हैं, जो स्वयं तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये देश के भीतर या बाहर काम करने के लिये पलायन करते हैं।''(7) प्रवासी श्रमिक विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं और स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार – ''कार्यबल लोगों का एक समूह, जो रोजगार की तलाश में जगह–जगह यात्राएँ करता हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करता हैं, प्रवासी श्रमिक कहा जाता हैं।''(8) ये ऐसे श्रमिक होते हैं, जो काम या रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवर्जन करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के अनुसार – ''इस संगठन ने अपनी प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों को कई उप भागों में बॉटा गया हैं, जैसेः– अनुबंध प्रवासी कर्मचारी, अत्यधिक कुशल प्रवासी, स्थाई प्रवासी श्रमिक, निवेशक तथा परियोजना से जुड़े श्रमिक, जो मौसमी या अस्थाई दोनों श्रमिक शामिल हैं, रोजगार की तलाश में विभिन्न स्थानों पर विचरण करते हैं।''(9)

बिट्रेनिका डॉट कॉम (Britannica.com) के अनुसार – ''इस वेब साईट ने प्रवासी श्रमिकों को आकस्मिक तथा अकुशल की संज्ञा दी हैं, जो आमतौर पर अस्थायी या मौसमी आधार पर अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर पलायन करते हैं।''(6)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि प्रवासी श्रमिक, जो अकुशल तथा अस्थायी हैं, अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों को जीवन यापन करने के लिये एक क्षेत्र या अपने मूल निवास स्थान से दूसरे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिये पलायन करते हैं। प्रवासी श्रमिक विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करते हुये देखे जा सकते हैं, जैसेः– संविदा के आधार पर विभिन्न कारखानों में कार्यरत मजदूर, भवन निर्माण में संलग्न मजदूर कृषि कार्य अर्थात बुवाई या फसल की कटायी में कार्यरत मजदूर, चाय के बागानों एवं कपास के खेतों में काम करते मजदूर इत्यादि क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।

भारत में प्रवासी श्रमिक :– भारत एक ऐसा देश हैं, जहॉ विभिन्न प्रकार की भाषाऐं, संस्कृतियॉ तथा सभ्यता विधमान हैं। यहॉ प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लोगों की भाषा बदल जाती हैं तथा उनका रहन–सहन का स्तर, जीवन यापन एवं खान–पान का तरीका भी बदल जाता हैं। ठीक इसी प्रकार विकास के मानक की दृष्टि से भी भारत के विभिन्न राज्यों में असमानताएँ विद्यमान हैं, यहॉ एक तरफ ऐसे राज्य हैं, जो कृषि, प्राकृतिक संसाधन और उद्योग व व्यापार की दृष्टि से काफी समृद्धशाली हैं, काम तथा धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे राज्य

भी हैं, जहॉ विकास का स्तर अत्यन्त निम्न अवस्था में हैं या हम यह कह सकते हैं कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से ये राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े हुये हैं। गोआ, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पॅजाब, तमिलनाडू व कर्नाटक आदि ऐसे राज्य हैं, जो रोजगार तथा धन की दृष्टि से काफी उच्च स्थिति में हैं, जबकि उत्तर–प्रदेश, बिहार, मध्य–प्रदेश, राजस्थान व

उड़िसा जैसे राज्य पिछड़ी हुयी अवस्था में हैं। यहॉ न तो पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध हैं और न ही धन इसीलिये इन राज्यों को भारत में बीमारू राज्यों की संज्ञा दी गयी हैं, जिसका मतलब हैं कि ऐसे राज्य जहॉ बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, बेकारी सबसे अधिक संख्या में विद्यमान हो, इन्हीं सब कारणों से प्रवासी श्रमिक जैसी अवधारणा का सूत्रपात्र हुआ था अर्थात इन राज्यों के लोगों को अपने तथा अपने परिवार के भरण–पोषण के लिये अपने राज्यों से अन्य राज्यों में रोजगार हेतु पलायन करना पड़ता हैं, जिन्हें अन्तर राज्य प्रवासी कहा जाता हैं। लोगों (श्रमिकों) द्वारा पलायन करना एक बेहत्तर जीवन यापन की रणनीति के रूप में देखा जाता हैं, क्योंकि पलायन के माध्यम से जीवन स्तर को उच्च किया जा सकता है।

लाल व्ही सिलोड और शेलजी सेड (2006) के अनुसार – ''जब श्रमिकों को अपने निवास स्थान पर आजीविका तथा रोजगार का कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं होता हैं, तो वह पलायन के द्वारा उच्च जीवन स्तर बनाये रखना चाहता हैं।''**(10)** इसके लिये वे लम्बे समय तक शहरों में रहते हैं तथा काम करते हैं। इस प्रकार प्रवासन अल्प समय में ग्रामीण गरीबों की आजीविका का साधन बन जाती हैं, इस दृष्टि से भारत में **आन्तरिक प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 40 मिलियन ऑकलित की गयी हैं,(1)** जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसका कारण अपने राज्यों में वित्तीय संकट, गरीबी, रोजगार के अवसरों का अभाव आदि माना गया हैं। प्रवासी श्रमिकों में जिन राज्यों के श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक हैं। वह बीमारू राज्य हैं। **भारत की जनगणना (2011) के अनुसार** – ''भारत के दो राज्य अर्थात दिल्ली एवं महाराष्ट्र, ऐसे हैं, जहॉ मध्य–प्रदेश, उत्तर–प्रदेश, उड़िसा, राजस्थान, बिहार व पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की 54.3 मिलियन संख्या देखी गयी हैं।''**(2)** इतनी बड़ी संख्या में आन्तरिक प्रवासी होना इस बात की ओर इशारा करता हैं कि बीमारू राज्य किस प्रकार से रोजगार व वित्तीय संसाधनों में पिछड़े हुये हैं। ये ऐसे श्रमिक हैं, जो न केवल उच्च जाति या वर्ग से आते हैं बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कमजोर वर्ग (SC/ST/OBC) से संबंध रखने वाले लोग भी शामिल हैं। गरीबी, ऋण ग्रस्तता, भुखमरी तथा कार्य के अभाव की बजह से श्रमिकों को पलायन करना पड़ता हैं। **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत मे लगभग 22ः आबादी गरीब हैं, जबकि वर्ष 2012 की विश्व बैंक की रिपोर्ट यह बताती हैं कि भारत में 5 में से 1 व्यक्ति 80ः गरीब हैं।(11)** प्रवासी श्रमिकों का देश के बड़े–बड़े शहरों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता हैं। ऐसा अनुमान हैं कि देश के प्रवासी श्रमिक कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10ः का योगदान देते हैं, परन्तु यह भाग्य की बिडंवना हैं कि उन्हें कम मजदूरी या पारिश्रमिक के साथ न तो उन्हें व्यवस्थित या उचित रूप से आवास दिया जाता है, और न ही सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाऐं, एक अनुमान के तहत महाराष्ट्र तथा दिल्ली जैसे शहरों में एक कमरे में कम से कम 10–15 श्रमिक रहते हैं। जिससे उनका स्वास्थ्य का स्तर गिरता जाता हैं और बाद में उसका सीधा असर उत्पादन पर होता हैं अर्थात उत्पादन कम हो जाता हैं, जबकि नीति निर्माताओं तथा अर्थशास्त्रियों का कहना हैं कि किसी भी देश के प्रवासी श्रमिक उस देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। मगर हमने उनकी कार्य की दशाऐं एवं स्वास्थ्य के स्तर पर ध्यान न देकर उन्हें अकुशल व अर्द्ध–कुशल बना दिया हैं।

केसरी तथा भगत (2012) ने यह स्पष्ट किया हैं कि – ''भारत में कुल 482 मिलियन श्रमिकों में से 194 मिलियन श्रमिक ऐसे हैं, जो अर्द्ध–कुशल, अस्थायी प्रवासी कामगार हैं। इसके अलावा 15 मिलियन अल्पकालिक प्रवासी श्रमिक हैं।''(12)

प्रवासी श्रमिकों में अन्तर राज्यीय श्रमिकों के साथ–साथ अप्रवासी (अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक) भी शामिल हैं तथा आन्तरिक प्रवासी श्रमिकों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार** – ''कुल प्रवास में 99ः आन्तरिक तथा 1ः अप्रवासी शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2001 से 2011 के बीच प्रवासियों की संख्या में 45ः की वृद्धि हुयी हैं, जबकि इस अवधि में जनसंख्या में 18ः की वृद्धि हुयी हैं।''**(13)** प्रवासी श्रमिकों के अन्तर्गत दोनों अर्थात शहरी तथा ग्रामीण शामिल हैं। शहरी–शहरी तथा ग्रामीण शहरी प्रवासन के अन्तर्गत क्रमशः 8 करोड़ एवं 3 करोड़ अर्थात कुल प्रवास का 7ः हिस्सा शामिल हैं।(13)

प्रवासी श्रमिकों के सन्दर्भ में देश के राज्यों में भी भिन्नता देखने के मिलती हैं। **ऑकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011 तक अन्तर राज्य प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा बिहार तथा उत्तर–प्रदेश राज्यों से था, जबकि प्रवासी श्रमिक प्राप्त करने वाले केवल दो राज्य जैसे दिल्ली एवं महाराष्ट्र थे। इसमें उत्तर–प्रदेश राज्य से 83 लाख एवं बिहार राज्य से 63 लाख प्रवासी श्रमिक शामिल थे,(13)** जो स्थाई व अस्थाई रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और सतत रूप से अपनी जीविका

चला रहे हैं, परन्तु जब उनके पारिश्रमिक (भुगतान) की बात आती हैं, तो उन्हें उनकी जीविका के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता हैं। **जिटलिन, बी, डंसिंगकर, बी, होल्टओम बी (2014) के अनुसार** – ''ऐसे प्रवासी श्रमिक, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिये आते हैं, उन्हें अस्थायी, अकुशल कार्यों पर रखा जाता हैं। जिसमें कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और आर्थिक भेदना शामिल होती हैं, यह एक प्रकार से अनौपारिक संगठन की विशिष्ट विशेषताऐं हैं।''(14)

प्रवासी श्रमिकों की आय, जिसे वह कठिन परिश्रम करके प्राप्त करते हैं, **वह देश की जी.डी.पी. का लगभग 6ः हैं, जिसे श्रमिक कम से कम 2ः आय अपने घर भेजते हैं, जो कि उड़िशा, बिहार, उत्तर–प्रदेश, मध्य–प्रदेश, झारखण्ड तथा राजस्थान जैसे राज्यों में भेजी जाती हैं।(7)** जिससे ऐसे श्रमिक जिनका परिवार उनके मूल राज्य में रहता हैं, अपना भरण–पोषण कर सके। इसके तहत वर्ष 2001 से 2011 के बीच आय की वार्षिक वृद्धि दर 4.5ः दर्ज की गयी थी।(7) इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों का कितना अधिक मूल्यवान योगदान रहा हैं अर्थात प्रवासी श्रमिक तथा उद्योगों, दोनों को लाभ अर्जित करने की आशा बढ़ जाती हैं।

भारत में प्रवासी श्रमिकों के अन्तर्गत न केवल पुरूष शामिल हैं, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर महिला श्रमिक भी हैं, जो देश के गरीब एवं पिछड़े राज्यों जैसेः– झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से घरेलू कार्य हेतु देश के महानगर–मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा हैदराबाद में घरेलू कामगार के रूप में संलग्न हैं। **अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार** – ''भारत में लगभग 20–90 मिलियन घरेलू कामगार महिलाऐं संलग्न हैं।''**(15)**

भारत में प्रवासी श्रमिकों का पलायन प्रतिवर्ष होता हैं। देश के किसी न किसी राज्य से प्रतिवर्ष नये प्रवासी श्रमिक बड़े–बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 के अनुसार – ''भारत में प्रतिवर्ष लगभग 9 मिलियन लोग पलायन करते हैं, जिसका मुख्य कारण शहरों में रोजगार की तलाश करना हैं।''**(16)**

वैश्विक स्तर पर अर्थात देश से बाहर काम करने वाले प्रवासी रमिकों की भी बहुत बड़े पैमाने पर संख्या प्राप्त हुयी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (ILO) के अनुसार – ''विदेशों में कुल 30 मिलियन भारतीय हैं, जिसमें से 9 मिलियन श्रमिक अरब की खाड़ी में केन्द्रित हैं (जीवाश्म तेल) तथा 90ः भारतीय प्रवासी श्रमिक खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया में काम करते हैं। वर्ष 2016 में प्रवासी श्रमिकों का योगदान कुल आय अर्जन में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा हैं।(17)

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों का एक अहम योगदान रहा हैं। इस वर्ग ने न केवल बड़े–बड़े शहरों में स्थित विभिन्न व्यावसायकि संगठनों तथा उद्योगों को विकास की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर पहुॅचाया हैं बल्कि कठिन से कठिन काम को आसान बनाकर लोगों को यह संदेश दिया हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं होता हैं। यदि हम पूरी मेहनत तथा लगन से कार्य करें तो जरूर सफल हो सकते हैं। मैनें अपने इस लेख में जो कठिन कार्य की बात की हैं, वह मूल रूप से गुजरात (सूरत) के सन्दर्भ में कही हैं क्योंकि सूरत में अभी भी गुजराती लोग कठिन और कष्टदायी कार्य जैसेः– लोहे का कारखाना, लोहा पिघलाने वाला कारखाना, बंदरगाहों पर भारी सामान उठाना इत्यादि कार्य बाहर के राज्यों (उत्तर–प्रदेश, बिहार, राजस्थान) से आने वाले प्रवासी श्रमिक ही करते हैं, जबकि गुजराती लोग इस प्रकार के कार्य से घृणा करके अस्वीकार कर देते हैं, इसीलिये प्रवासी श्रमिकों का एक देश के राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती हैं। आज जो गुजरात राज्य व्यवसाय व उद्योगों के क्षेत्र में ऊॅचाईयों की बुलंदियों को छू रहा हैं। वह प्रवासी श्रमिकों की ही देन हैं।

प्रवासी श्रमिको ंपर कोरोना वासरस महामारी का प्रभाव :– यदपि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी का संक्रमण फैलने से रोकने के लिये लिया गया राष्ट्रव्यापी तालाबंदी का निर्णय सटीक व उचित था, परन्तु इस प्रक्रिया का गरीब लोगों या प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर काम करने वाले लोगों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों पर क्या असर होगा, इसके बारे में न तो सरकार ने कभी सोचा था और न ही देशव्यापी तालाबंदी को लागू करने वाली सरकारी अधिकारियों ने, तालाबंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तथा प्रवासी श्रमिकों पर जो घातक असर हुआ, उसे इस कोरोना काल में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता हैं।

भारत में कोरोना वायरस प्रकोप का पहला मामला 20 जनवरी, 2020 में सामने आया था। जैसे ही कोविड–19 का मामला भारत में दृष्टिगोचर हुआ वैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू करने की घोषणा कर दी थी। जिसके तहत सभी दुकानों, मॉलों, रेस्तरॉ, सैलून तथा सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन, छोटे व मध्यम उद्यम इत्यादि सभी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन इस तालाबंदी के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं व सेवाओं से मरहूम न रहे इसलिये कुछ विशेष मानकों के तहत निश्चित समय के लिये अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी थी।

राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल, महाविद्यालयों) को भी बंद कर दिया गया था। जिससे विद्यार्थियों को कोविड–19 के संक्रमण से बचाया जा सके, लेकिन इसकी वजह से स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा बहुत प्रभावित हुयी हैं, इसीलिये तालाबंदी समाप्त होने के बाद ऑनलाईन शिक्षा प्रदान की जा रही हैं, जो कि अभी तक संचालित हैं

अर्थात वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में इन्टरनेट के माध्यम से अध्ययन–अध्यापन का कार्य किया जा रहा हैं, हालॉकि कई सामाजिक–आर्थिक दार्शनिकों, नीति–निर्माताओं तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत सरकार के इस (तालाबंदी) निर्णय की भरपूर सराहना की और कहा कि इस घातक वायरस से निपटने के लिये तालाबंदी ही एक महत्वपूर्ण उपाय हैं, लेकिन फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता हैं कि इसके नकारात्मक असर भी हुये हैं, इसकी वजह से, जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुये वह प्रवासी श्रमिक या प्रतिदिन की मजदूरी के आधार पर काम करने वाले कामगार हैं। तालाबंदी के दौरान इन प्रवासी श्रमिकों के सामने, जो समस्याऐं उत्पन्न हुयी वह भोजन, आश्रय (आवास), रोजगार और वायरस से ग्रसित होना आदि थी, इसलिये उन्होंने अपने गॉव या मूल स्थान की ओर पलायन करना आरंभ कर दिया था, परन्तु देशव्यापी तालाबंदी की वजह से परिवहन प्रणाली (बस, रेल, ट्रक) पूरी तरह से बंद कर दी गये थे, जिससे श्रमिकों को वापस अपने घरों पर पहुॅचने में कई प्रकार की परेशानियॉ आयी थी,

जैसे :– श्रमिकों द्वारा हजारों किलोमीटर नंगे पैर चलना, बिना भोजन या भूखे ही यात्रा करना तथा पैंदल चलने पर पुलिस द्वारा उन्हें लाटियों से पीटना।(18) ये ऐसी समस्याऐं थी, जिन्हें प्रवासी श्रमिक कभी नहीं भुला सकते हैं और मानवता का शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि उन्हें एक तरफ कोरोना जैसे वायरस का डर था, तो दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा लगायी गयी, पुलिस व्यवस्था का भय था। कुछ प्रवासी श्रमिक तो ऐसे थे, जिन्होंने अपनी पैदल यात्रा के दौरान आत्म हत्या कर ली थी तथा कुछ श्रमिकों ने भूख के कारण बीच में ही अपनी यात्रा छोड़ दी थी। **जन सहस (2020) के अनुसार** – ''जन सहस संस्था द्वारा सन 2020 में उत्तर व मध्य भारत के लगभग 3000 प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि अधिकॉश श्रमिक दैनिक वेतनभोगी, 42ः श्रमिकों के पास भोजन हेतु राशन नहीं था, उनके पास पैसा या रूपया नहीं था तथा 94ः प्रवासी श्रमिकों के पास पहचान पत्र नहीं था।''**(19)**

देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिक परिवहन बंद होने से फॅसे हुये थे, जिनमें कुछ रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर थे, तो कुछ श्रमिक जिले की सीमा पर अड़े हुये थे, उन्हें वहॉ से जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि तालाबंदी के कारण जगह–जगह पुलिस लगी हुयी थी और जो प्रवासी श्रमिक किसी न किसी प्रकार से अपने घर या मूल स्थान पर पहुॅच गये थे, तो उन्हें स्थानीय लोगों तथा वहॉ की पुलिस द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने के संदर्भ में घृणा और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था।

इंडिया टुडे (2020) पत्रिका के अनुसार – ''प्रवासी श्रमिकों का एक समूह, जो अपने गॉव सफलतापूर्वक पहुॅचा था, उन पर सैनेटाइजर का छिड़काव किया गया, स्थानीय लोगों को उनसे दूर रहने के लिये कहा गया।''**(20)** जिससे प्रवासी श्रमिकों में एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न हो गयी थी, हालॉकि इसके लिये स्थानीय प्रशासन ने माफी मॉगी थी, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता हैं कि उनके साथ कोरोना वायरस को लेकर एक प्रकार से अन्याय हुआ था और भारतीय प्रवासी श्रमिकों के साथ अब तक घटित हुयी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी।

इसे कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के नाम से भी जाना जाता हैं। भारत के अधिकॉश अन्तर राज्य प्रवासी श्रमिक असंगठित क्षेत्र **जैसे :– पर्यटन, घरेलू कार्य, निर्माण–विनिर्माण, परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।(21)** जहॉ न तो नौकरी की सुरक्षा की गारंटी हैं और न ही अन्य सुविधाओं (आवास, स्वास्थ्य, अवकाश लाभ) की, यदि ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस जैसी महामारी दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें तालाबंदी के तहत सभी दुकानों एवं व्यवसाय व उद्योग–धंधों को बंद कर दिया जाता हैं, तो उनके लिये और दुखदायी साबित हो

सकता हैं, क्योंकि कार्य एवं धन के अभाव में उनके लिये अपना जीविकोपार्जन करना मुश्किल प्रतीत होता हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास ऐजेंसी ने यह अनुमान लगाया हैं कि कोविड–19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। जिससे सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत के असंगठित क्षेत्रें जैसेः– आभूषण व रत्नों में 40000 श्रमिक, वस्त्र उद्यम में 500 तथा डायमंड क्षेत्र में लगभग 1 लाख प्रवासी श्रमिक संलग्न हैं। यदि तालाबंदी के तहत ये सभी क्षेत्र पूर्ण रूप से बंद होते हैं, तो प्रवासी श्रमिकों के लिये एक प्रकार से नौकरी खोने का खतरा बढ़ जायेगा, क्योंकि ये सभी असंगठित क्षेत्र हैं, जहॉ नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती हैं। **जैसा कि कुमार आर–आर देवरॉय बी, घोष जे. महाजन आदि ने कहा हैं** कि – ::इस कोरोना काल में संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों की नौकरी अधिक खतरे में हैं।''**(22)** इसी प्रकार का एक और उदाहरण जो कि **जचारिया के. सी तथा रंजन एस.आई. (श्रनदम 2010) ने दिया हैं कि** – ''भारत के केरल राज्य में एक चौथाई से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर लौटकर आये हैं, क्योंकि तालाबंदी के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न होने से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी हैं।''(23) इस क्षेत्र में काम करने से प्रवासी श्रमिक न केवल अपनी नौकरी खो चुके थे, बल्कि उनके लिये अपने तथा अपने परिवार का पेट भरने के लिये भी खतरा उत्पन्न हो गया था। उन्हें मुश्किल से दो वक्त का खाना प्राप्त हो पा रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी कोविड–19 के कारण विश्व भर में फैली मंदी की स्थिति का अनुमान लगाया हैं। **अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना हैं कि कोविड–19 के कारण दुनिया भर में 2.5 मिलियन लोग (प्रवासी श्रमिक) बेरोजगार हो सकते हैं, जो कि आगे इनकी संख्या बढ़कर 24.7 मिलियन तक हो सकती हैं।(24)** इस प्रकार रोजगार की दृष्टि से कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिये खतरनाक साबित हो सकता हैं।

भारत सरकार ने जब तालाबंदी की घोषणा की थी, तो प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में परिवहन प्रणाली, धन संबंधी एवं सुरक्षा उपायों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, वास्तव में सरकार ने यह कभी नहीं सोचा था कि इसके कारण प्रवासी श्रमिक को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता हैं, जब सरकार ने श्रमिकों को समस्याओं का समाधान करने का सोचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। **रेनू यादव ने ऑकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने 23 मार्च, 2020 से सम्पूर्ण देश में तालाबंदी की घोषणा की और प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थान पर पहुॅचाने की शुरूआत 9 मई, 2020 से आरंभ की थी अर्थात सरकार ने एक महीने के बाद प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर ध्यान दिया था।(25)** यदि मार्च में ही उन पर ध्यान दिया जाता तो वे नंगे पैर न चलते और न ही उनको भूखा रहना पड़ता, यह सरकार की लापरवाही कही जा सकती हैं, जो कि यह स्पष्ट करती हैं कि भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों पर कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में असफल रही थी।

यह असफलता इस संदर्भ में हैं कि सरकार द्वारा तालाबंदी में फॅसे हुये लोगों को अपने मूल स्थान पर सुरक्षित पहुॅचाने के लिये **लगभग 4000 स्पेशल रेलें सरकार द्वारा चलायी गयी थी, जिसके तहत लगभग 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने ग्रह–निवास पर लौट आये थे।(25)** इतनी देरी से रेले चलाने की वजह से यह सभी समस्याऐं उत्पन्न हुयी थी। भारत सरकार ने जैसे ही राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की प्रक्रिया को समाप्त किया, वैसे ही प्रवासी श्रमिक अपने कार्यस्थल पर लौटने लगे थे। **रिपोर्ट बताती हैं कि तालाबंदी में ढील देने के बाद 2000 से अधिक मजदूर पुणे लौट आये थे।(25)** जिसकी वजह से कोरोना वायरस संक्रमण का पुनः खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योकि इस दौरान सामाजिक अलगाव, फेस मास्क व सैनेटाइजर के

उपयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जबकि महामारी का प्रकोप अभी भी जारी हैं और भविष्य में क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव हैं।

निष्कर्ष :– उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिये, जो तालाबंदी की प्रक्रिया अमल में लायी गयी थी, उसके कारण फायदे कम और नुकसान अधिक हुआ था। प्रवासी श्रमिक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं, उनके संबंध में सरकार लापरवाह रही थी, सरकार ने उनके लिये किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका रोजगार छीन गया था और भूख से तड़पने के लिये मजबूर कर दिया था। ऐसी स्थिति में जब प्रवासी श्रमिकों ने अपने मूल निवास स्थान की ओर लौटना शुरू किया तो उस दौरान उन्हें कई जटिल समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा था। भूखे नंगे पैर हजारों की किलोमीटर की यात्रा करना, उनके लिये दुखदायी साबित हुआ था। यदि सरकार पूर्व से ही तालाबंदी को नुकसान या नकारात्मक प्रभावों को समझ लेती तो आज यह स्थिति नहीं होती, मेरा मानना हैं कि तालाबंदी से पहले प्रवासी श्रमिकों की गणना करके उन्हें वापस अपने निवास स्थान पर पहुॅचाने के बाद ही तालाबंदी की जाती तो प्रवासी श्रमिक सुरक्षित रहते और उन्हें इन कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ, इसीलिये यह कहा जा सकता हैं कि सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह रही हैं।

1.2 संदर्भ–ग्रंथ सूची:

1. Dr Champa Patel (13 July, 2020), Covid-19:- The Hidden majority in India's migration crisis. (www.chathamhouse.org), 13 July, 2020.
2. Census of India, migration tables, Registrar General and census commissioner of India, Govt. of India, New Delhi (2011), Accessed 23 May, 2020.
3. World Bank, Covid-19 crisis through a migration lens. Migration and Development Brief, no 32, world bank, Washington, D.C. World Bank. Accessed 23 May 2020.
4. Knut Kjeldstadli (10 October 2017) "the History of Migration and creating a world market for Labour. (www.medium.com) 10 October 2017
5. प्रवजन एक जरूरत – ''सबलोग'' (एक ऑनलाईन सामाजिक – आर्थिक संगठन) 29 अगस्त, 2020, लेखकः– शिवदयाल
6. Migrant Labour (www.britannica.com).
7. थ्रवर्स माइग्रेशन :– भारत के सम क्षए क नयी चुनौती (www.drishtiias.com), 4 मई, 2020.
8. Migrant Labour, Definition of migrant by Oxford. (www.lexico.com)
9. Definitions of Labour Migrants (www.nebi.nim.nih.gov)
10. Lall, V. Selod, H and Shalizi, Z (2006) "Migration in Developing Countries:- A Survey of Theoretical predictions and Empirical Finding", world bank policy research working paper no 3915, working paper series, May 1, 2006
11. Indian's Poverty: - Profile, The world bank IBRD-IDA, Accessed 23 May, 2020.
12. Bhagat, R.B. (2012) Summary Report, Compondium on Workshop report on Internal migration in India, Vol. 1, UNESCO and UNI CEF, Delhi
13. Madhunika Iyer. (10 June, 2020) blog, "Migration in India and the Impact of the Lockdown on migrant (www.prsindia.org) 10 June 2020
14. Zeitlyn, B, Deshing kar, P. Holtom, B (2014) Internal and regional migration for construction work: - a research agenda, Migration out of Poverty RPC. 2014, Report No 14, Available online http://sro.sussex.ac.uk/49634/05cnfile://Articles/2014

15. Priya Deshing Kar (16 June, 2020) – "Faceless and dispossessed:- India's cirular migrant in the time of Covid-19 (www.downtoearth.org.in)
16. Census (2011) D-series migration tables. Office of the Registror general and census commissioner, ministry of Home Affairs, Government of India. New Delhi
17. ILO (2018) Indian Labour migration – International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/group/public/asia-ro-bangkok/-sro-new-delhi/document/publication/wcms_631s32.pdf Google schoolar.
18. http://www.ohchr,org/EN/NewsEvent/pages/DisplayNew.aspx? NewsID-25926.
19. Jan Sahas (2020) Voices of the Invisible Citizens: - A Repid Assessment on the Impact of Covid-19 Lockdown on Internal migrant workers. April, New Delhi.
20. India Today (2020) http://www.indiatoday.in/india/story/coronavirus-migrants-sprayed-with-disinfectonts-on-road-in-up-bareily-dm-assuros-action-1661371-2020-03-30.
21. BBC (2020) http://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274 access on 6th April, 2020.
22. Kumar, R. R., Dabroy, B. Ghosh, J. Mahajan, V. Prabhu, K.S. (April 2009), Global financial crisis-Impact on India'spoor – Some initial perspectives United Nations development programme (UNDP) India.
23. Zachariah, K.C., Rajan, S.I (June 2010). Impact of the global recession on migration and remittances in Kerala:- New evidences from the return migration survey (RMS) 2009. Centre for Development Studies (CDS).
24. ILO (18 March, 2020), Covid-19:- Protecting workers in the workplace: International Labour Organization, Press release. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS-738742/long-en/index.html.
25. Renu Yadav, Impact of Covid-19 on Indian's migrant workers. (www.criticaledges.com)